I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 10/04/2022 23:46 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Sunday **Date from (दिनांक से):** 10/04/2022 **Date To (दिनांक तक):** 10/04/2022

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 17:30 hrs **Time To (समय तक):** 18:40 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/04/2022 **Time (समय):** 18:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 10/04/2022 23:15 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 8 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): नजदीक न्यु कालोनी मोड ggm,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ललित यादव

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** हंसराज सिह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1982 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	खाजपुर तहसील व जिला झज्जर, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

2	Permanent Address	खाजपुर तहसील व जिला झज्जर, JHAJJAR, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सिपाही शक्ति			1. पुलिस स्टेशन खेडकी दौला ggm,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	आई ओ रामचन्द्र थानेदार			1. क्राईम ब्रांच मानेसर गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, डी.एस.पी. स्टेट विजीलैन्स ब्यूरो, रोहतक । विषय:- भ्रष्ट लोकसेवक पर रैड की कार्यवाही करने बारें। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं ललित यादव सुपुत्र श्री हंस राज सिंह गाँव खाजपुर तहसील व जिला झज्जर का रहने वाला हूं और झज्जर-रेवाड़ी रोड़ बाईपास झज्जर पर स्थित सवेरा ओटोमोबाईल्ज का मालिक हूं। आज मैं मेरे साथी सन्दीप उर्फ काले सुपुत्र जय भगवान निवासी दिल्ली गेट, झज्जर के साथ आपके पास आया हूं। पुलिस थाना खेड़की दौला जिला गुरूग्राम में मुकदमा नं0 149/2022 धारा 406,420,467,468,471,120बी आई.पी.सी. दर्ज है, जो कि पवन छिक्कारा निवासी खेड़ी आसरा जिला झज्जर, सुरज (पवन का परिचित), कुलदीप निवासी झज्जर व विनीत पुत्र नरसी निवासी झज्जर के विरूद्ध दर्ज है। यह मुकदमा विकास शर्मा निवासी गाँव सहारणवास जिला रेवाड़ी द्वारा धोखाधड़ी से स्कोडा रैपिड गाड़ी बेचने बारें दर्ज करवाया गया है। यह मुकदमा अब सी.आई.ए. मानेसर के पास है, जिसका आई. ओ. थानेदार रामचन्द्र है। इस मुकदमे में कुलदीप व विनित हमारे जानकार है, परन्तु कुलदीप को हम बहुत अच्छे से जानते है। एक सिपाही शक्ति है, जो गुरूग्राम पुलिस में खेड़की दौला नौकरी करता है और दिल्ली गेट, झज्जर का रहने वाला है। इस मुकदमें के सम्बन्ध में उक्त सिपाही शक्ति के मोबाईल नम्बर 9992336187 से मेरे मोबाईल फोन नम्बर 8295037755 पर दिनांक 06.04.2022 को समय लगभग 11.24 बजे दिन व 11.43 बजे दिन वॉटस ऐप के माध्यम से वॉईस कॉल आई थी, जिसमे उक्त सिपाही शक्ति द्वारा कहा गया कि अगर हम रूप्यें 30 लाख उसे दे दे तो वह आई. ओ. से कहकर विनीत व कुलदीप को इस केस से निकलवा देगा। कुछ देर बात करने उपरान्त मेरी उक्त सिपाही शक्ति से कुलदीप को रूप्यें 12 लाख देकर निकलवाने की बात हो गई। सिपाही शक्ति द्वारा उक्त वार्तालाप के दौरान रिश्वत के लेन-देन के सम्बन्ध में मेरी कुलदीप से भी बात करवाई गई। राशि ज्यादा होने के कारण हम उसे रूप्यें 12 लाख नही दे सके और आई. ओ. द्वारा कुलदीप व विनित को गिरफतार करके दिनांक 07.04.2022 को जेल में भिजवा दिया गया। इसके बाद दिनांक 09.04.2022 को समय लगभग 5.41 बजे दिन उक्त सिपाही शक्ति की उसके मोबाईल फोन से मेर मोबाईल फोन पर वॉटस ऐप के माध्यम से वॉईस कॉल आई कि अगर हम अभी भी रूप्यें 12 लाख उसे देदे तो वह अभी भी केस को कमजोर करवाकर कुलदीप को फारिग करवा सकता है और उसके लिए मुझे आज टॉकन मनी के रूप में उक्त सिपाही शक्ति को रूप्यें 1 लाख 50 हजार दिए जाने है, जो हम नही देना चाहते। इस रिश्वत प्रकरण में उक्त सिपाही शक्ति की मेरे अतिरिक्त मेरे साथी अरूण आर्या सुपुत्र श्री औमप्रकाश निवासी सैक्टर 10ए, गुरूग्राम से दिनांक 06.04.2022 को व मेरे साथ आए सन्दीप से दिनांक 08.04.2022 को शक्ति के मोबाईल फोन सम्पर्क संख्या 9992336187 से इनके मोबाईल फोनों पर वॉटस ऐप पर वॉईस कॉल के माध्यम से वार्तालाप हुई है, जिनकी मेरे साथी उक्त सन्दीप उर्फ काले द्वारा दुसरे मोबाईल फोन से 05 विडियों रिकार्डिंग की गई है। ये 05 विडियो रिकार्डिंग मैने आपको एच. पी. कम्पनी की 32 जी.बी. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव में डलवाकर प्रस्तुत कर दी है। उक्त सिपाही शक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। उक्त शक्ति ने हमे बताया कि इस केस के आई.ओ. रामचन्द्र थानेदार से उसकी इस सम्बन्ध में सैटिंग है। निवेदक (ललित यादव) सुपुत्र श्री हंस राज सिंह निवासी गाँव खाजपुर तहसील व जिला झज्जर 8295037755 कार्यवाही पुलिस:- आज मैं सुमित कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, स्वयं, सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार, 1136/रेवाड़ी, ई./सहायक उप निरीक्षक कृष्ण, 866/भिवानी, मुख्य सिपाही विरेन्द्र, 895/रोहतक, मुख्य सिपाही सत्यवान, 645/जी.आर.पी., मुख्य सिपाही जगबीर, 1114/रेवाड़ी, ई./मुख्य सिपाही प्रवीण, 616/रोहतक सहित सरकारी गाड़ियों, बोलरो, पंजीकरण संख्या HR 03 Z 2010 में चालक सिपाही विकास, 5/336 एच.ए.पी. तथा HR 03 Z 5413 में चालक सिपाही पवन कुमार, 1233/झज्जर सहित सरकारी कार्य हेतु न्यु कॉलोनी मोड़, गुरूग्राम के समीप लेपटॉप, प्रिन्टर, अनुसंधान अधिकारी की कीट ईत्यादि वस्तुओं सहित उपस्थित हूँ कि शिकायतकर्ता ललित यादव सुपुत्र श्री हंस राज सिंह गाँव खाजपुर तहसील व जिला झज्जर ने उसके साथी सन्दीप उर्फ काले सुपुत्र जय भगवान निवासी दिल्ली गेट, झज्जर सहित मुझसे मुलाकात करके उपरोक्त शिकायत के साथ एच. पी. कम्पनी की 32 जी.बी. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव मुझे प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतकर्ता ललित यादव द्वारा उसकी व उसके साथियों की आरोपी के साथ उक्त प्रकरण में रिश्वत के लेन-देन के सम्बन्ध में मोबाईल फोन पर वॉटस ऐप पर वॉईस काल के माध्यम से हूई वार्तालाप से सम्बन्धित 05 विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी बताई गई है। इस शिकायत के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाने पर उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता के साथियों व आरोपी के मध्य इस रिश्वत प्रकरण में राशि के लेन-देन को लेकर हुई बातचीत के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त एच. पी. कम्पनी की 32 जी.बी. की सिलवर रंग की पेन ड्राईव में उपलब्ध डेटा को ट्रांसक्रिप्शन तैयार किए जाने के लिए लेपटॉप में कॉपी करने उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त पैन ड्राईव को कागज के पीले रंग के लिफाफें में डालकर पलन्दा तैयार किया जाकर, उक्त पलन्दा पर SVB(H) की मोहर लगाई जाकर इस सम्बन्ध में तैयार किए गए दस्तावेज/सूचि के माध्यम से उक्त पलन्दा को साक्ष्य के रूप में पुलिस कब्जा में लिया गया है। तैयार किए गए दस्तावेज/सूचि पर सम्बन्धित गवाहों द्वारा अपने-2 हस्ताक्षर किए गए है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का अध्ययन करने पर व उक्त पैन ड्राईव में उपलब्ध विडियों को देखने/सुनने पर धाराधीन 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए ई./सहायक उप निरीक्षक कृष्ण, 866/भिवानी के माध्यम से थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरूग्राम भेजा जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किए जाने उपरान्त अभियोग संख्या से सूचित किया जाए। पंजीकृत किए जाने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विशेष वाहक/ई.मेल के माध्यम से सम्बन्धित ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों के पास भिजवाई जाए। उपायुक्त महोदय गुरूग्राम की उपस्थिति बारें पता करने उपरान्त मै स्वयं, चालक सिपाही पवन कुमार, 1233/झज्जर सहित सरकारी गाड़ी में रैड की अनुमति लेने ईत्यादि के सम्बन्ध में उपायुक्त महोदय, गुरूग्राम के पास पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाउस, गुरूग्राम जा रहा हूं। स्थान:- नजदीक न्यु कॉलोनी मोड़, गुरूग्राम, समय 5.30 AM (सुमित कुमार) उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक दिनांक 10.04.2022 अज थाना- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त EASI कृष्ण 866/भिवानी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश DSP सुमित कुमार रा0 चौ0 ब्यूरो रोहतक के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EASI कृष्ण 866/भिवानी के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VED PARKASH **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): G15 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1988				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)